(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 03rd June, 2025

NOTIFICATION

No.10-1/2024-U.3(A): Whereas, JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka had uploaded its application on UGC Portal for starting an off-campus Centre at Bengaluru by converting an existing affiliate college namely JSS Academy of Technical Education, Bengaluru as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2019.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 26-2/2023 (CPP-I/DU) dated 12.02.2024, had conveyed that the Standing Committee, who examined and assessed the application, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru, Karnataka with certain conditions. The recommendation of the Committee was approved by the Chairman, UGC.

3. **And whereas**, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 23.02.2024 to JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka for fulfilment of the following conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Bengaluru:

i. The institution shall submit details of corpus fund maintained for Rs. 25 crores.
ii. As per the UGC Regulations, 2019, one third of the total proposed students should be PG/research students and at least 3 PG Departments with research programmes. The total proposed students at the off-campus centre is 1034, therefore the Institution deemed to be University shall maintain the necessary prescribed percentage of PG/research students and shall submit the proof for the same.
iii. JSS Academy of Higher Education & Research shall submit No Objection Certificate from Vishveswaraya Technological University, Belagavi, Karnataka, which is presently the affiliating University of JSS Academy of Technical Education, Bengaluru.
iv. JSS Academy of Higher Education & Research shall submit No Objection Certificate from the State Government of Karnataka.
v. The deemed to be University shall submit a legal undertaking providing clarification regarding whether the JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru and JSS Academy of Technical Education, Bengaluru (an affiliated college) are sponsored by the same Sponsoring Body or not.

4. **And further whereas**, the Registrar, JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru, Karnataka, vide his letter dated 09.10.2024 submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI, which was sent to UGC for verification. UGC, vide letter No. F. 26-2/2023 (CPP-I/DU) dated 24.03.2025, informed that the compliance report was accepted by its Standing Committee. The Chairman, UGC approved the report of UGC Standing Committee.

मुकेश

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka to start an off-campus Centre at Bengaluru by converting an existing affiliate college namely JSS Academy of Technical Education, Bengaluru subject to the following conditions:

i. JSS Academy of Technical Education, Bengaluru (an affiliated college) under JSS Mahavidyapeetha Society shall be merged in JSS Academy of Higher Education & Research society after passing out of last admitted batch of students in the college.
ii. No students shall be admitted in any professional courses at the off-campus centre without the prior approval of relevant statutory bodies/councils.
iii. The functioning of the Bengaluru off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of issuance of this Notification.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules, Regulations, directions of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by JSS Academy of Higher Education & Research (Deemed to be University), Mysuru, Karnataka.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Registrar, JSS Academy of Higher Education & Research (deemed to be University), Mysuru, Karnataka.
3. The Vice-Chancellor, Visvesvaraya Technological University, Belagavi-590018, Karnataka.
4. The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Karnataka, Bengaluru.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. 23381578

(भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 03 जून, 2025

अधिसूचना

सं.10-1/2024-यू.3(ए): जबकि, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय) विनियमन, 2019 के अनुसार जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेंगलुरु नामक एक मौजूदा संबद्ध कॉलेज को परिवर्तित करके बेंगलुरु में एक ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने अपने दिनांक 12.02.2024 के पत्र संख्या 26-2/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से अवगत कराया था कि स्थायी समिति, जिसने आवेदन की जांच और मूल्यांकन किया था, ने कुछ शर्तों के साथ जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश को यूजीसी के अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी।

3. **और जबकि** , मंत्रालय ने यूजीसी के परामर्श पर, बेंगलुरु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पूर्व 3 वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक को दिनांक 23.02.2024 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

i. संस्थान को 25 करोड़ रुपये के लिए बनाए गए कॉर्पस फंड का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
ii. यूजीसी विनियमन, 2019 के अनुसार, कुल प्रस्तावित छात्रों में से एक तिहाई पीजी/शोध छात्र होने चाहिए और शोध कार्यक्रमों वाले कम से कम 3 पीजी विभाग होने चाहिए। ऑफ-कैंपस केंद्र में कुल प्रस्तावित छात्र 1034 हैं, इसलिए सम विश्वविद्यालय संस्थान पीजी/शोध छात्रों का आवश्यक निर्धारित प्रतिशत बनाए रखेगा और इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
iii. विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगावी, कर्नाटक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो वर्तमान में जेएसएस अकादमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेंगलुरु का संबद्ध विश्वविद्यालय है।
iv. जेएसएस उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी को कर्नाटक राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
v. सम विश्वविद्यालय को एक विधायी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि क्या जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम

पृ.क्र.2

विश्वविद्यालय), मैसूर और जेएसएस अकादमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेंगलुरु (संबद्ध महाविद्यालय) एक ही प्रायोजक निकाय द्वारा प्रायोजित हैं या नहीं।

4. **और आगे, जबकि**, रजिस्ट्रार, जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक ने अपने पत्र दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन के लिए यूजीसी को भेजा गया था। यूजीसी ने दिनांक 24.03.2025 के पत्र संख्या एफ.26-2/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को इसकी स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष ने यूजीसी स्थायी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी।

5. **अब, इसलिए** , यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक को एक मौजूदा संबद्ध कॉलेज अर्थात जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेंगलुरु को परिवर्तित करके निम्नलिखित शर्तों के तहत बेंगलुरु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की मंजूरी देता है:

i. जेएसएस महाविद्यापीठ सोसाइटी के अंतर्गत जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेंगलुरू (एक संबद्ध महाविद्यालय) को कॉलेज में प्रवेश प्राप्त अंतिम बैच के विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी में विलय कर दिया जाएगा।

ii. प्रासंगिक सांविधिक निकायों/परिषदों की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी छात्र को ऑफ-कैंपस केंद्र में किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

iii. इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद आयोग द्वारा बेंगलुरु ऑफ-कैंपस के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, निर्देशों का जेएसएस उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक द्वारा पालन करते रहना जारी रहेगा।

पू कि बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफ़ोन: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. रजिस्ट्रार, जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (सम विश्वविद्यालय), मैसूर, कर्नाटक।
3. कुलपति, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगावी-590018, कर्नाटक।
4. प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस यूनिट को कृपया विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
9. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल.

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर 23381578